

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
01/2021

तारीख रजू
21.09.2021

तारीख निर्णय
24.04.2026

बउनवान

1. बाबूलाल पुत्र रत्तीराम, निवासी कोठीन, तहसील बसवा हाल बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. रामकेश पुत्र रत्तीराम, निवासी कोठीन, तहसील बसवा हाल बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बैजूपाडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा, दौसा।

..रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट - श्री शिवदत्त जैमिनी।
2. अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 01 - श्री लीलाराम मीना।

अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं. 311 दिनांक 20.12.2016 द्वारा
ग्राम पंचायत बैजूपाडा, तहसील बसवा हाल बैजूपाडा दौसा
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि विवादित आराजीयात ग्राम कोठीन, तहसील बसवा, जिला दौसा में खसरा सं. 308, 377, 541, 558, 570, 679, 685, 686 कुल किता 7, कुल रकबा 0.85 हैक्टे. एवं खसरा सं. 20, 67, 119, 216, 236, 338, 339, 376, 408, 408/1021, 568, 586, 592, 641, 643, 644, 725 कुल किता 17, कुल रकबा 3.09 हैक्टे. के 1/4 हिस्से के खातेदार व काबिज काश्तकार है। अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट सं. 1 का पिता रत्तीराम पुत्र रामफूल, जाति मीना, निवासी कोठीन का था। उक्त रत्तीराम की मृत्यु दिनांक 25.08.2016 को हो गयी है। रत्तीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.09.2016 को रजिस्ट्रीकरण कर दिनांक 26.09.2016 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र की पुश्त पर स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत बैजूपाडा ने रत्तीराम के वारिसान का सजरा अपने हस्ताक्षरों से अंकित किया जिसमें ग्राम पंचायत बैजूपाडा ने रत्तीराम के वारिस अपीलांट व रेस्पों. सं. 01 को बताया है। पटवारी हल्का ने रत्तीराम की विरासत का नामान्तकरण सं. 311 ग्राम कोठीन अपीलांट व रेस्पों. सं. 01 के हक में भरकर जाँच हेतु भू.अ.नि. को पेश किया। भू.अ.नि. ने जांच कर ग्राम पंचायत बैजूपाडा में पेश किया ग्राम पंचायत बैजूपाडा ने बिना अपीलांट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये व अपीलांट को नोटिस दिये बिना उनके समक्ष रत्तीराम का वारिस अपीलांट व रेस्पों सं. 01 सिद्ध होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत बैजूपाडा के सरपंच व रेस्पों. सं. 01 ने षडयंत्र रचकर जालसाजी करके दिनांक 20.12.2016 को रत्तीराम का वारिस मात्र रेस्पों नंबर 1 को ही मानकर और दिनांक 20.12.2016 को उक्त नामान्तकरण संख्या 311 ग्राम कोठीन को तस्दीक कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बैजूपाडा के आदेश दिनांक 20.12.2016, जो नामान्तकरण संख्या 311 ग्राम कोठीन पर पारित किया गया है, के विरुद्ध



श्रीमान के समक्ष अपील अपीलान्त पेश है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाणी व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलान्त को नोटिस दिये बिना जालसाजी करके षड्यन्त्र रचकर अपीलान्त को नुकसान पहुंचाने के लिये उक्त आदेश पारित किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। रत्तीराम के वारिस अपीलान्त व रेसपो. सं. 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रिकॉर्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र से बखूबी सिद्ध थे, नामान्तरकरण भी वारिस प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलान्त व रेसपो. सं. 1 के हक में भरकर प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से अपीलान्त को नुकसान पहुंचाने के लिये षड्यन्त्र रचकर फर्जी रिकार्ड तैयार करने के लिये उक्त निर्णय पारित किया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। रत्तीराम के नाम की भूमि के आधे हिस्से पर अपीलान्त व आधे हिस्से पर रेसपो. नंबर 1 काबिज है, अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जाँच किये बिना उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय जब रत्तीराम का वारिस अपीलान्त व रेसपो. नंबर 1 को नहीं मानता था तो अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्त को नोटिस देना चाहिए था और उक्त नामान्तरकरण विवादित मानना चाहिए था और यदि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय उक्त नामान्तरकरण को विवादित मानती थी तो अधीनस्थ न्यायालय को विवादित नामान्तरकरण को तस्दीक करने का अधिकार नहीं था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण को तस्दीक करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बैजूपाडा दिनांक 20.12.2016, जो नामान्तरकरण सं. 311 ग्राम कोठीन पर पारित किया गया है, को निरस्त करें और अधीनस्थ न्यायालय को आदेश करें कि रत्तीराम पुत्र रामफूल, जाति मीना, निवासी कोठीन की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्त व रेसपो. सं. 01 के हक में भरकर और तस्दीक करें।

2. अपील के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक अपीलान्त की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं दिनांक 18.01.2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी कि रेसपोडेंट आगामी सुनवाई तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेसपोडेंट को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद रेसपोडेंट संख्या 02 के द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेसपोडेंट संख्या 01 द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत कर अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि अपील नामान्तरकरण सं. 311 ग्राम पंचायत बैजूपाडा में वर्णित ग्राम कोठीन, तहसील बसवा हाल बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 308, 377, 541, 558, 570, 679, 685, 686 कुल किता 7, कुल रकबा 0.85 हैक्टे. एवं खसरा सं. 20, 67, 119, 216, 236, 338, 339, 376, 408, 408/1021, 568, 586, 592, 641, 643, 644, 725 कुल किता 17, कुल रकबा 3.09 हैक्टे. में होना स्वीकार है तथा रत्तीराम पुत्र रामफूल, जाति मीना, निवासी कोठीन की मृत्यु



दिनांक 25.08.2016 को होना भी स्वीकार है। अपीलांट के द्वारा जिस नामान्तरकरण को लेकर अपील पेश की, उस भूमि में अपीलांट बाबूलाल का किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार व हिस्सा निहित नहीं है क्योंकि अपीलांट बाबूलाल जो एक बहुत चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जो कि अपने चाचा मृतक चन्द्रमल जिसके केवल मात्र पुत्री सन्तान होने के कारण उसका दत्तक पुत्र बन गया तथा अपने चाचा चन्द्रमल की सम्पूर्ण भूमियात का अपने नाम गोद की जमीन का नामान्तरकरण खुलवा कर उक्त गोद की जमीन पर बतौर दत्तक पुत्र बहैसियत उत्तराधिकारी आज दिन तक मौके पर काबिज है। जब अपीलांट गोद चला गया और चन्द्रमल की चल व अचल सम्पत्ति को अपने नाम करवा लिया तो उसका हिस्सा व अधिकार रत्तीराम की चल व अचल सम्पत्ति से स्वतः ही समाप्त हो जाता है तथा अपीलांट बाबूलाल को नामान्तरकरण सं. 311 दिनांक 20.12.2016 को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा नामान्तरकरण सं. 311 दिनांक 20.12.2016 को सम्पूर्ण कोरम की उपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए ही सम्पूर्ण कोरम ने दर्ज किया है जो सही है तथा अपील अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर श्रीमान जी के समक्ष पेश की है जो खारिज व निरस्त किये जाने योग्य है। खानदानी सजरा निम्नप्रकार है -

रामफूल
पुत्र

रत्तीराम पुत्र रामकेश	चन्द्रमल दत्तक पुत्र व पुत्री बाबूलाल (बत्तो, गुलाब, गीता, खेला)	सुवा पुत्र बालू राम व चिन्हहरी	पपडी (नाऔलाद) पत्नि मनुकरी
-----------------------------	---	--------------------------------------	----------------------------------

अतः निवेदन है कि जब अपीलांट बाबूलाल दत्तक पुत्र चन्द्रमल यानी जब बाबूलाल चन्द्रमल के गोद चला गया और चन्द्रमल के जीवनकाल से ही मृतक चन्द्रमल की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि पर काबिज हो गया और चन्द्रमल की मृत्यु के बाद चन्द्रमल के स्थान पर रिकॉर्ड में खातेदार हो गया तो उक्त जमीन से अपीलांट बाबूलाल का कोई संबंध व सरोकार नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील मय हर्ज खर्चे के खारिज के आदेश प्रदान करें।

4. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने जवाब अपील के तथ्यों को दोहराया तथा अपील को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा - ग्राम पंचायत बैजूपाडा के द्वारा तरदीक नामान्तरकरण सं. 311 आदेश दिनांक 20.12.2016, रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत दानपत्र दिनांक 28.09.1999 (प्रतिलिपि) का अवलोकन किया गया।

6. ग्राम पंचायत बैजूपाडा के द्वारा तरदीक नामान्तरकरण संख्या 311 के अवलोकन से यह पट है कि रत्तीराम के फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा पटवारी बैजूपाडा एवं भू मिति बैजूपाडा के द्वारा "रामकेश बाबूलाल पि. रत्तीराम हि. 1/4" की प्रविष्टि दर्ज की गई




उपखण्ड अधिकारी
भण्डावर (दोस्ता)

हे जिसका ग्राम पंचायत बैजूपाडा द्वारा केवल "रामकेश पि. रत्तीराम हि. 1/4" के नाम स्वीकृत किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत दानपत्र दिनांक 28.09.1999 से स्पष्ट है कि चन्द्रमल पुत्र रामफूल निवासी कोठीन के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में उसके हिस्सा 1/4 को बाबूलाल पुत्र रत्तीराम के पक्ष में दानपत्र किया था किन्तु रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा बाबूलाल को चन्द्रमल के गोद जाने से सम्बंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए बाबूलाल का अपने पिता रत्तीराम की विरासत में से हिस्सा प्राप्त होने के सम्बंध में कोई भी विधिक बाधा होना रेस्पोंडेंट संख्या 01 प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बैजूपाडा के द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तरकरण संख्या 311 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टी "रामकेश पि. रत्तीराम हि. 1/4" की हद तक अपास्त किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

7. अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बैजूपाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 311 आदेश दिनांक 20.12.2016 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्टी "रामकेश पि. रत्तीराम हि. 1/4" की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 311 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्टी रामकेश पुत्र रत्तीराम के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकार
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
मण्डावर (दौसा)